

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -312

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02447

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "सार्थक होम्स", प्रमोटर-सार्थक प्रमोटर एण्ड बिल्डर्स,  
द्वारा-श्री संदीप चन्द्राकर, पता-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, जी.ई.रोड,  
कुम्हारी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)  
प्रोजेक्ट-"सार्थक ग्रीन्स" पता-कुगदा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21/11/2025	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी से उनके निष्पादन प्रकरण क्रमांक-EXE-M-COM-2024-02447 के आदेश पत्र की छायाप्रति सहित प्राप्त, अवलोकन किया गया।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि 1,00,000/- को अनावेदक द्वारा दिनांक 21.05.2025 को रुपये 30,000/- एवं दिनांक 02.07.2025 को रुपये 70,000/- जमा कर चालान की प्रति पेश करने के फलस्वरूप चालान की छायाप्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतएव प्रकरण में अधिरोपित शास्ति राशि 1,00,000/- जमा किया जा चुका है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर अभिलेख कोष्ट दाखिल किया जावे।</p> <p>सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही /- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	